कार्यालय राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय श्रीगंगानगर

नजदीक सुखवंत पैलेस पुरानी आबादी श्रीगंगानगर 0154–2450161

क्रमांकः–लेखा/स्टोर/ओष./16–17/98 दिनांकः–01.07.2016

खुली निविदा संख्या–02/2016–17

राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय श्रीगंगानगर में निम्नानुसार औषधियों की आवश्यकता है जिसकी आपूर्ति हेतु अधिकृत औषध विक्रेता/विनिर्माता से मोहर बंद लिफाफो में जिन पर "जरावस्था निवारण केन्द्र व आंचल प्रसूता केन्द्र हेतु औषधियों की निविदा" अंकित हो, खुली निविदा द्वि लिफाफा पद्धति में आमंत्रित की जाती है। निविदादाता द्वारा तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड पृथक–पृथक दो लिफाफो में प्रस्तुत की जावेंगीः–

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित राशि	अमानत राशि
1.	जरावस्था निवारण केन्द्र हेतु	रू. 1.80 लाख	रूपये 7200/–
2.	आंचल प्रसूता केन्द्र हेतु	रू. 1.80 लाख	
	योग	रू. 3.60 लाख	

निविदा प्रपत्र एवं आवश्यक शर्तें रू. 200/– जमा करवाकर कार्यालय से निविदा प्रकाशन तिथि से दिनांक 12.07.2016 को सांय 5.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य आवश्यक शर्तें राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल (http://sppp.raj.nic.in) से भी डाउनलोड किया जा सकता है। परन्तु इस प्रकार के निविदा प्रपत्र की स्थिति में तकनीकी बिड के साथ रूपये 200/– का डी.डी/ बैंकर्स चैक जो कि वरिष्ठ चिकित्साधिकारी, राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय श्रीगंगानगर के नाम देय हो प्रस्तुत करना होगा। निविदा दिनांक 13.07.2016 को दोपहर 12.00 बजे (12:00 PM) तक राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय श्रीगंगानगर में प्रस्तुत की जा सकती है जो उसी दिन 13.07.2016 को दोपहर 03:00 बजे (03:00 PM) क्रय समिति के समक्ष खोली जावेंगी।

यह दरें दिनांक 31.03.2017 तक लागू रहेगी। कार्य आदेश जारी होने के दस दिवस में औषधियों की आपूर्ति करनी होगी । निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा। निविदादाता की कोई शर्त मान्य नही होगी।

निविदा की सामान्य शर्तेः–

1. औषधियॉ, आपूर्ति दिनांक को आगामी एक वर्ष तक अवधि पार नहीं होनी चाहिए।
2. निविदा में वेट व अन्य सभी कर/ परिवहन व्यय राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय तक पहुंचाने का सम्बन्धित व्यय फर्म वहन करेगी, विभाग वहन नहीं करेगा।
3. सफल निविदादाता को एम आर पी सूची तुरन्त उपलब्ध करानी होगी।
4. सप्लाई की जाने वाली औषधियां राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान में सप्लाई हेतु अधिकृत फार्मेसी की होनी चाहिए।
5. औषधियों की दरें आयुर्वेद शास्त्रोक्त व आयुर्वेद पेटेण्ड में अंकित मूल्य पर छूट का प्रतिशत अलग–अलग प्रस्तुत करना होगा। अर्थात अंकित मूल्य पर समस्त करों को सम्मिलित करने के उपरान्त कितने प्रतिशत की छूट दी जावेगी।
6. विभाग द्वारा आवंटित बजट कम अथवा अधिक होने की स्थिति में औषधियों की मात्रा घटाई बढाई जा सकेगी।
7. किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र श्रीगंगानगर रहेगा।

(डॉ. सुन्दर लाल जोशी)
वरिष्ठ चिकित्साधिकारी
राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय
श्रीगंगानगर

क्रमांकः–लेखा/स्टोर/ओष./16–17/99–104 दिनांकः–01.07.2016

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु सादर प्रेषित।

1. श्रीमान निदेशक आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर को भेजकर निवेदन है कि उक्त निविदा सूचना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करावें ।
2. श्रीमान् वित्तीय सलाहकार निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
3. श्रीमान उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग बीकानेर।
4. श्रीमान जिला आयुर्वेद अधिकारी श्रीगंगानगर।
5. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, श्रीगंगानगर।
6. श्रीमान जिला जन संपर्क अधिकारी श्रीगंगानगर को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में न्यूनतम स्थान में प्रकाशित कराने का श्रम करे।
7. नोटिस बोर्ड कार्यालय.....

(डॉ. सुन्दर लाल जोशी)
वरिष्ठ चिकित्साधिकारी
राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय
श्रीगंगानगर

distayurvedhospsgnr@gmail.com

कार्यालय राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय श्रीगंगानगर

नजदीक सुखवंत सिनेमा पुरानी आबादी श्रीगंगानगर 0154–2450161

निविदा फार्म
तकनीकी बिड

1. निविदा सूचना संख्या–02
2. निविदादाता औषध विक्रेता/विनिर्माता का नाम,पता व दूरभाष नम्बर.....
   .....
3. निविदा प्रपत्र के मूल्य रूपये 200/– (अखरे रूपये दो सौ मात्र) की रसीद नम्बर/डी.डी. नम्बर/बैंकर्स चैक नम्बर.....दिनांक.....(संलग्न)
4. टिन नम्बर.....(प्रति संलग्न)
5. पैन नम्बर..... (प्रति संलग्न)
6. अमानत/धरोहर राशि रूपये 7200/–(अखरे रूपये सात हजार दो सौ मात्र) की रसीद नम्बर/डी. डी. नम्बर/बैंकर्स चैक नम्बर.....दिनांक.....(संलग्न)
7. निविदा में वर्णित सभी शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा सभी पृष्ठों पर हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं। शर्ते संलग्न है।
8. निविदादाता औषध विक्रेता/विनिर्माता के नाम व पतों की सूची संलग्न है।
9. इसके साथ बिक्री कर/वेट चुकता प्रमाण–पत्र समाप्त तिमाही 2016 तक का संलग्न है।
10. वित्तीय स्तर यदि उपलब्ध हो (कम से कम गत तीन वर्ष का वार्षिक टर्नओवर का प्रमाणित विवरण संलग्न करे।

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रारूप–11

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैनें/ हमने जिन औषधियों के लिये निविदा दी है। उनका मै/हम बोनाफाईड निर्माता/थोक विक्रेता/अधिकृत विक्रेता है। यदि यह घोषणा असत्य पायी जाये तो किसी भी अन्य कार्यावाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिनिधि को पूर्ण रूप में समपहृत किया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक स्वीकृत किया है रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

कार्यालय राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय श्रीगंगानगर

नजदीक सुखवंत सिनेमा पुरानी आबादी श्रीगंगानगर 0154–2450161

निविदा फार्म
वित्तीय बिड

1. निविदा सूचना संख्या–02
2. निविदादाता औषध विक्रेता/विनिर्माता का नाम,पता व दूरभाष नम्बर.....
   .....
3. टिन नम्बर.....
4. पैन नम्बर.....

जरा रोग निवारण केन्द्र हेतु शास्त्रोक्त औषधियां

क्र.सं	नाम औषधि	पैंकिंग	नाम निर्माता फार्मेसी/रसानशाला (निविदादाता द्वारा भरा जाना है।)
1.	एकांगवीर रस	50 ग्राम	
2.	वातगजांकुश रस	50 ग्राम	
3.	महावातविध्वंसन रस	50 ग्राम	
4.	स्मृतिसागर रस	50 ग्राम	
5.	नागार्जुनाभ्र रस (अर्जुनाभ्र रस)	05 ग्राम	
6.	श्रृंगाराभ्र रस	50 ग्राम	
7.	श्वासकुठार रस	100 ग्राम	
8.	क्रव्याद रस	05 ग्राम	
9.	कृमिकुठार रस	05 ग्राम	
10.	सूतशेखर रस	50 ग्राम	
11.	लीलाविलास रस	50 ग्राम	
12.	अर्शकुठार रस	50 ग्राम	
13.	बोलबद्ध रस	05 ग्राम	
14	कामदूधा रस	50 ग्राम	
15.	चन्द्रकला रस	05 ग्राम	
16.	समीरपन्नग रस	05 ग्राम	
17.	प्रबाल पिष्टी	50 ग्राम	
18.	जहरमोहराखताई पिष्टी	50 ग्राम	
19	गोदन्ती भस्म	100 ग्राम	
20.	अकीक पिष्टी	50 ग्राम	
21.	अभ्रक भस्म	50 ग्राम	
22.	शुभ्रा भस्म (स्फटिक भस्म)	50 ग्राम	
23.	टंकण भस्म (बालसुधा)	50 ग्राम	
24.	शिलाजत्वादि लोह	100 ग्राम	
25.	पुनर्नवादि मण्डूर	50 ग्राम	
26.	नवायस लोह	50 ग्राम	
27.	धातृलोह	50 ग्राम	
28.	अग्नितुण्डी वटी	50 ग्राम	
29.	विषतिन्दुक वटी	500 ग्राम	
30.	अमरसुन्दरीवटी	50 ग्राम	
31.	प्रभाकरवटी	50 ग्राम	
32.	सर्पगन्धाघनवटी	100 ग्राम	
33.	लवंगादि वटी	50 ग्राम	
34.	गन्धक वटी	50 ग्राम	
35.	महाशंखवटी	50 ग्राम	
36.	आरोग्यवर्धिनी वटी	50 ग्राम	
37	चन्द्रप्रभावटी	50 ग्राम	
38.	कुटजघनवटी	50 ग्राम	
39.	सारिवादिवटी	10 ग्राम	
40.	महायोगराज गुग्गल	25 ग्राम	
41.	त्रयोदशांगगुग्गल	100 ग्राम	
42.	रास्नादि गुग्गल	50 ग्राम	

43.	सप्तविंशति गुग्गल	50 ग्राम	
44.	त्रिफला गुगगल	100 ग्राम	
45.	गोक्षुरादि गुग्गल	100 ग्राम	
46.	मेदोहरगुग्गल	50 ग्राम	
47.	केशोर गुग्गल	100 ग्राम	
48.	रस माणिक्य	50 ग्राम	
49.	गन्धक रसायन	50 ग्राम	
50.	अश्वगन्धादि चूर्ण	500 ग्राम	
51.	तालिसादी चूर्ण	500 ग्राम	
52.	सितोपलादि चूर्ण	500 ग्राम	
53.	मधुयष्टि चूर्ण	500 ग्राम	
54.	अविपतिकर चूर्ण	500 ग्राम	
55.	अग्निसंदीपन चूर्ण	500 ग्राम	
56.	पंचसकार चूर्ण	500 ग्राम	
57.	लवणभास्कर चूर्ण	500 ग्राम	
58.	हिंग्वष्टक चूर्ण	500 ग्राम	
59.	तरूणीकुसुमारक चूर्ण	500 ग्राम	
60.	त्रिफला चूर्ण	500 ग्राम	
61.	वृ. मंजिष्ठादि चूर्ण	500 ग्राम	
62.	अश्वगन्धा चूर्ण	500 ग्राम	
63.	शतावर्यादि चूर्ण	500 ग्राम	
64.	अर्जुनछाल चूर्ण	500 ग्राम	
65.	आंवला चूर्ण	500 ग्राम	
66.	मधुमेहनाशक चूर्ण	200 ग्राम	
67.	हरिद्राखण्ड	100 ग्राम	
68.	बिल्वादि चूर्ण	500 ग्राम	
69.	एरण्डपाक	100 ग्राम	
70.	वासावलेह (ग्रे).	250 ग्राम	
71.	अश्वगन्धारिष्ट	225 एमएल	
72.	बलारिष्ट	225/450 एमएल	
73.	अर्जुनारिष्ट	225 एमएल	
74.	कनकासव	225 एमएल	
75.	अभयारिष्ट	225 एमएल	
76.	द्राक्षारिष्ट	225 एमएल	
77.	कुमार्यासव	225 एमएल	
78.	सारस्वतारिष्ट	225 एमएल	
79.	पुनर्नवादि क्वाथ प्रवाही	225 एमएल	
80.	महारास्नादि क्वाथ प्रवाही	225 एमएल	
81.	सिरप गोजिव्हादि क्वाथ	225 एमएल	
82.	महानारायण तैल	50 एमएल	
83.	प्रसारणी तैल	50 एमएल	
84.	महाविषगर्भ तैल	50 एमएल	
85	कासीसादि तैल	50 एमएल	
86.	महामरिच्यादि तैल	50 एमएल	
87	एरण्ड तैल	500 एमएल	

दरें :– उक्त औषधियां एम.आर.पी. दर से .....प्रतिशत (अंको में) .....(शब्दो में) दर कम पर सप्लाई की जावेंगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

जरा रोग निवारण केन्द्र हेतु पेटेंट औषधियां

क्र.सं	नाम औषधि	पैंकिंग	नाम निर्माता फार्मेसी/रसानशाला (निविदादाता द्वारा भरा जाना है।)
1.	जेरी फोर्ट टेब.	100 टेब.	
2.	बंगशील टेब.	100 टेब.	
3.	फोर्टेज टेब.	100 टेब.	
4.	सुधासप्तक टेब.	100 टेब.	
5.	वातरीन टेब.	60 टेब.	
6.	सिरप कफेश्वरी	200 एम.एल	
7.	सिरप रिटोन	200 एम एल	
8.	सिरप सोमकल्पम	200 एम.एल	
9.	अन्जाईम सिरप	200 एम. एल	
10.	टेब मेन्टेट	60 टेब.	
11.	टेब. लिव 52	60 टेब.	
12.	टेब. रास्नाशल्लकी	100 टेब.	
13.	सिरप हिपेनो (एस.एफ)	200 एमएल	
14.	सिरप लिवोमिन	200 एमएल	
15.	टेब. रिओस्टो	60 टेब.	
16.	वातिना सिरप	200 एम एल	
17.	वातरीन तैल	50 एमएल	

दरें :– उक्त औषधियां एम.आर.पी. दर से .....प्रतिशत (अंको में) .....(शब्दो में) दर कम पर सप्लाई की जावेंगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

आंचल प्रसूता केन्द्र हेतु शास्त्रोक्त औषधियां

क्र.सं	नाम औषधि	पैंकिंग	नाम निर्माता फार्मेसी/रसानशाला (निविदादाता द्वारा भरा जाना है।)
1.	लक्ष्मीविलास रस	50 ग्राम	
2.	आनन्दभैरव रस	50 ग्राम	
3.	त्रिभुवनकीर्ति रस	50 ग्राम	
4.	कामदूधा रस	50 ग्राम	
5.	गर्भपाल रस	10 ग्राम	
6.	कृमिमुदगर रस	50 ग्राम	
7.	चन्द्रामृत रस	50 ग्राम	
8.	पुनर्नवादि मण्डूर	50 ग्राम	
9.	दन्तोद्भेदगदान्तक रस	10 ग्राम	
10.	सप्तामृत लौह	50 ग्राम	
11.	धातृलौह	50 ग्राम	
12.	प्रवालपिष्टी	50 ग्राम	
13.	जहरमोहराखताई पिष्टी	50 ग्राम	
14	मुक्ताशुक्ति पिष्टी	50 ग्राम	
15.	शंखभस्म	50 ग्राम	
16.	गोदन्ती भस्म	100 ग्राम	
17.	गिलोयसत्व	50 ग्राम	
18.	आरोग्यवर्धनी वटी	50 ग्राम	
19	सौभाग्य वटी	10 ग्राम	
20.	संजीवनी वटी	50 ग्राम	
21.	अग्निसंदीपन चूर्ण	500 ग्राम	
22.	सितोपलादि चूर्ण	500 ग्राम	
23.	जातिफलादि चूर्ण	50 ग्राम	
24.	अविपतिकर चूर्ण	500 ग्राम	
25.	तरूणीकुसुमाकर चूर्ण	500 ग्राम	
26.	दाड़िमाष्टक चूर्ण	50 ग्राम	
27.	हिंग्वाष्टक चूर्ण	100 ग्राम	
28.	हरिद्राखण्ड	100 ग्राम	
29.	अरविन्दासव	225 एमएल	
30.	दशमूलारिष्ट	225 एमएल	
31.	अशोकारिष्ट	225 एमएल	
32	सुपारीपाक	100 ग्राम	

दरें :– उक्त औषधियां एम.आर.पी. दर से .....प्रतिशत (अंको में) .....(शब्दो में) दर कम पर सप्लाई की जावेंगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

आंचल प्रसूता केन्द्र हेतु पेटेंट औषधियां

क्र.सं	नाम औषधि	पैंकिंग	नाम निर्माता फार्मेसी/रसानशाला (निविदादाता द्वारा भरा जाना है।)
1.	गर्भजीवन	225 एमएल	
2.	जीवनीय सत्व	200 एमएल	
3.	अन्जाईम सिरप	200 एमएल	
4.	उदरभास्कर सिरप	200 एमएल	
5.	फेमलीन फोर्ट सिरप	200 एमएल	
6.	कृमिनोल सिरप	200 एम.एल	
7.	पेप्सर सिरप	200 एम एल	
8.	बालजीवन सिरप	100 एम.एल	
9.	जन्म घुट्टी	60 एमएल	
10.	लिप 52 ड्रोप्स	60 एमएल	
11.	सिरप वोमीटेव	60 एमएल	
12.	रिटोन सिरप	200 एमएल	
13.	रक्तशोधक टोनिक	200 एमएल	
14.	निओगार्ड ड्रोप्स	30 एमएल	
15.	फीजल सिरप	100 एमएल	
16.	हेमोल सिरप	300 एमएल	
17.	शतावरी कल्प	125 ग्राम	
18	एल्बोविट	200 ग्राम	
19	सुधासप्तक टेबलेट	100 टेब.	
20	ब्लोसम कैप्सूल	100 कैप.	
21	पाईलेक्स टेब.	60 टेब.	
22	फेमीप्लेक्स टेब.	75 टेब.	
23	टेब. केलिरो	600 टेब	
24	पोसेक्स कैप.	30 कैप.	
25	वातरीन ऑईल	60 एमएल	

दरें :– उक्त औषधियां एम.आर.पी. दर से .....प्रतिशत (अंको में) .....(शब्दो में) दर कम पर सप्लाई की जावेंगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

कार्यालय राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय श्रीगंगानगर

नजदीक सुखवंत पैलेस पुरानी आबादी श्रीगंगानगर 0154–2450161

क्रमांकः–लेखा/स्टोर/ओष./16–17/ दिनांकः–

कार्यालय आदेश

कार्यालय राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, श्रीगंगानगर में चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए जरा निवारण केन्द्र हेतु भैषज्य एवं औषधि मद में आवंटित राशि 1.80 लाख तथा आँचल प्रसूता केन्द्र हेतु आवंटिंत राशि 1.80 लाख की औषधियां क्रय उपापन हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 50 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 03 के अनुसार निम्नांकित क्रय समिति का गठन किया जाता है।

क्र.सं.	नाम सदस्य	पद	पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1	श्री सुन्दर लाल जोशी	वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, श्रीगंगानगर	सदस्य सचिव
2	श्रीमती मनोरमा शर्मा	चिकित्साधिकारी	राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, श्रीगंगानगर	सदस्य
3	श्रीमती पूनम	चिकित्साधिकारी एवं प्रभारी आंचल प्रसूता केन्द्र	राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, श्रीगंगानगर	सदस्य
4	श्री दिनेश शर्मा	सहा. लेखाधिकारी ।।	कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी हनुमानगढ़	सदस्य
5	श्री गजेन्द्र बैरवा	कनि. लिपिक	राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, श्रीगंगानगर	सदस्य

(डॉ. सुन्दर लाल जोशी)
वरिष्ठ चिकित्साधिकारी
राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय
श्रीगंगानगर

क्रमांकः–लेखा/स्टोर/ओष./16–17/ दिनांकः–

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित

1. श्रीमान् निदेशक महोदय, आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर।
2. श्रीमान् वित्तीय सलाहकार, निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
3. श्रीमान् उपनिदेशक महोदय, आयुर्वेद विभाग, बीकानेर।
4. श्रीमान् जिला आयुर्वेद अधिकारी, श्रीगंगानगर।
5. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय श्रीगंगानगर।
6. सम्बन्धित सदस्य.....।
7. कार्यालय रिकॉर्ड।

(डॉ. सुन्दर लाल जोशी)
वरिष्ठ चिकित्साधिकारी
राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय
श्रीगंगानगर

distayurvedhospsgnr@gmail.com

टिप्पणी– निविदादाताओं को चाहिए कि वे इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ ले और अपनी निविदाएँ भेजते समय इनका कठोरता से पालन करें।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार समुचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बंद किया जाना आवश्यक है।
2. "वास्तविक डीलरों द्वारा निविदाएँ" निविदाएँ केवल माल के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जानी चाहिए। अतः वे प्ररूप एस.आर. 13 में एक घोषणा प्रस्तुत करें।
3. (I)फर्म के गठन आदि में हुए किसी परिवर्तन की सूचना ठेकेदार द्वारा तुरन्त क्रय अधिकारी को दी जाएगी और ऐसा परिवर्तन फर्म आदि के पूर्ववर्ती सदस्य के ठेके के अधीन के दायित्व से मुक्त नहीं करेगा।
(II)ठेकेदार फर्म ठेके के संबंध में फर्म में तब तक कोई नया/नए भागीदार स्वीकार नहीं किया जाएगा/किये जाएंगे जब तक कि वह/वे समस्त निबन्धनों और शर्तों का पालन करने हेतु सहमत न हों और क्रय अधिकारी के समक्ष इस आशय का एक लिखित करार जमा न करा दें। अभिस्वकृति हेतु ठेकेदार की रसीद को या किसी भागीदार की रसदी को बाद में उपर्युक्तानुसार स्वीकृत किया जाएगा। और उससे वे सभी आबद्ध होंगे और वह संविदा के किसी प्रयोजन हेतु पर्याप्त उन्मोचन होगा।
4. बिक्री कर रजिस्ट्रीकरण और समाशोधन प्रमाण पत्र– कोई भी डीलर जो उस राज्य में जहां उसका कारोबार स्थित है प्रचलित बिक्री कर अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण नहीं है निविदा प्रस्तुत नहीं करेगा। रजिस्ट्रीकरण संख्यांक वर्णित किया जाना चाहिए और संबंधित सर्किल के वाणिज्यक कर अधिकारी से समाशोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके बिना निविदा अस्वीकार किए जाने हेतु दायी होंगी।
5. निविदा प्रारूप स्याही से भरे जाएंगे अथवा टंकित होंगे। पेंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर और अंत में निविदा के समस्त निबंधनों और शर्तों की स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेगा।
6. दरों को शब्दों और अंको दोनों में ही लिखा जाएगा। गलतियां तथा/अथवा लिपि लेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई संशोधन हो तो उन्हें स्पष्ट रूप से किया जाए और उन पर तारीख सहित हस्ताक्षर किए जाएं दरों में राजस्थान बिक्री कर के और केन्द्रीय बिक्री कर के घटक पृथक से वर्णित किए जाने चाहिए।
7. वर्णित की गयी समस्त दरें गतव्य पर रेल पर्यन्त निःशुल्क होनी चाहिए और उसमें चुंगी केन्द्रीय/राजस्थान बिक्रीकर एवं समस्त प्रासंगिक प्रभार सम्मिलित होने चाहिए और सरकार द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन प्रभार संदत्त नहीं किया जाएगा और माल का परिदान क्रय अधिकारी के परिसर पर किया जाएगा। क्रय किया जाने वाला माल कार्यालय उपयोग हेतु होता है। अतः चुंगी और स्थानीय कर सम्मिलित होंगे। पूर्ववर्ती मामले में क्रय आदेश के साथ विहित प्ररूप में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
8. (I) दरों की तुलनाः राजस्थान के बाहर की फर्मों द्वारा तथा राजस्थान की उन फर्मों द्वारा जो नियमों के अधीन मूल्य अधिमानता की हकदार नहीं है निविदत्त दरों की तुलना में राजस्थान बिक्री कर का घटक अपवर्जित कर दिया जाएगा और केन्द्रीय बिक्री कर का घटक सम्मिलित कर दिया जाएगा।
(II) राजस्थान के भीतर की फर्मों के संबंध में तुलना कर समय राजस्थान बिक्री कर का घटक सम्मिलित किया जाएगा।
9. मूल्य अधिमान– मूल्य अधिमानता/अधिमानता राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों की तुलना में भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमानता) नियम 1995 के अनुसार दी जाएगी।
10. विधिमान्यता– निविदाएँ निविदा खोले जाने की तारीख से तीन मास की कालावधि हेतु विधि मान्य होंगी।
11. यह मान लिया जाएगा कि अनुमोदित प्रदायक ने प्रदाय किए जाने वाले माल के संबन्ध में शर्तों, विनिर्देशों, आकार मेक और ड्राइंग आदि का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर लिया है। यदि उसे इन शर्तों के किसी भी भाग या विनिर्देश, ड्राइंग आदि के अर्थ के संबंध में कोई सन्देह है तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे क्रय अधिकारी को निर्दिष्ट करेगा और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेगा।
12. निविदादाता किसी अन्य अभिकरण को अपनी अपनी निविदा या उसका कोई महत्वपूर्ण भाग समनुदेशित नहीं करेगा। या उपपट्टे पर नहीं देगा।
13. निरीक्षण– (क) क्रय अधिकारी या उसका सम्यक रूप से प्राधिकृत समस्त उपयुक्त समयों पर प्रदायक के परिसर में पहुंच रखेगा और उसे समस्त उपयुक्त समयों पर विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान या उसके पश्चात जैसा विनिर्णीत किया जाए औषधियों की सामग्री और कर्म कौशल का निरीक्षण तथा परीक्षण करने की शक्ति होगी।
(ख) निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम और वर्कशॉप के परिसर का पूरा पता प्रस्तुत करेगा जहां निरीक्षण किया जा सकता है और साथ ही उस व्यक्ति का नाम और पता भी प्रस्तुत करेगा। जिससे इस प्रयोजनार्थ सम्पर्क किया जाना है। उन डीलरों के मामले में जो कारोबार में नवीन रूप से प्रविष्ट हुए हैं, उनके बैंकर से परिचय पत्र आवश्यक होगा।

14. अस्वीकार किया जाना–

(I) निरीक्षण के या परीक्षण के दौरान अनुमोदित न की गयी वस्तुओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा और उनको क्रय अधिकारी द्वारा नियत किए गए समय के भीतर निविदादाता अपने स्वयं के व्यय पर बदलेगा।

(II) तथापि यदि सरकारी कार्य की अपेक्षाओं के कारण ऐसा प्रतिस्थापन पूर्णतः या अंशतः साध्य न समझा जाए तो क्रय अधिकारी निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने के पश्चात कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों से उपयुक्त रकम की कटौती कर लेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।

15. अस्वीकृति की सूचना के 15 दिनों के भीतर, अस्वीकृत वस्तुएं निविदादाता द्वारा हटा ली जाएगी, उसके पश्चात क्रय अधिकारी किसी नुकसान, कमी या हानि हेतु दायी नही होगा और उसे अधिकार होगा कि वह निविदादाता की जोखिम पर और उक्त कारण से ऐसी वस्तुओं का निपटान उस रीति से कर दे जिसे वे उपयुक्त समझे।

16. निविदादाता इस बात हेतु दायी होगा कि वह समुचित पैकिंग करे जिससे कि समुद्र, रेल या सड़क या वायु द्वारा परिवहन की सामान्य स्थितियों में होने वाले नुकसान को टाला जा सके और गंतव्य पर परिस्थिती को अच्छी दशा में सामग्री का परिदान हो सके। सामग्री के किये गये परीक्षण/निरीक्षण पाई गयी किसी ऐसी हानि और कमी की पूर्ति करने हेतु दायी होगा। इस कारण से कोई अतिरिक्त व्यय अनुज्ञेय नहीं होगा।

17. प्रदाय के ठेके का क्रय अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरकारण, निविदादाता को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करने तथा निराकरण हेतु कारण अभिलिखित करने के पश्चात किया जा सकेगा। यदि प्रदाय उसके समाधानप्रद रूप में किए गए हों।

18. निविदादाता की या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पक्ष प्रचार निरर्हता होगा।

19. (I) परिदान कालावधि:– जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत हो चुकी है वह सम्बन्धित कार्यालय द्वारा प्रदाय आदेश की तारीख से [illegible]

(I) मात्रा की सीमा:– पुनरादेश यदि निविदा सूचना में अन्तर्गत मात्रा से अधिक के आदेश दिए जाते हैं तो भी निविदादाता अपेक्षित प्रदाय की पूर्ति हेतु आबद्ध होगा। निविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर पुनरादेश भी दिया जा सकेगा यदि पुनरादेश मूलतः क्रय मात्रा का 50 प्रतिशत तक है और कालावधि पिछले प्रदाय की समाप्ति से एक मास से अधिक नही है। यदि निविदादाता ऐसा करने में विफल रहता है तो क्रय अधिकारी को यह छूट होगी कि वह अतिशेष प्रदाय की व्यवस्था समिति निविदा से या अन्यथा रूप से करे और उपगत अतिरिक्त मूल्य निविदादाता से वसूली योग्य होगी।

(II) यदि क्रय अधिकारी निविदत्त वस्तुओं में से किसी वस्तु का क्रय नहीं करता या निविदा प्ररूप में वर्णित मात्रा से कम का क्रय करता है तो निविदादाता मुआवजे हेतु किसी दावे का हकदार नहीं होगा।

20. अग्रिम राशि:–

21. अग्रिम राशि का समपहरण:– अग्रिम राशि का निम्नलिखित स्थितियों में समपहरण किया जा सकेगा:–

(I) जब निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात किन्तु निविदा की स्वीकृति के पूर्व निविदा वापस ले लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित कर देता है।

(II) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि हो, निष्पादित नहीं करता।

(III) जब प्रदाय आदेश दिए जाने के पश्चात निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नही कराता।

(IV) जब वह विहित समय के भीतर प्रदाय आदेश के अनुसार मदों का प्रदाय प्रारम्भ करने में विफल रहता है।

22. (I) करार तथा प्रतिभूति निक्षेप:–

23. (I) समस्त माल रेल या माल परिवहन के माध्यम से भाड़ा संदत्त करके भेजा जाना चाहिए। यदि माल को भाड़ा दिये जाने की शर्त के अधीन भेजा जाता है तो प्रदायक के बिल से भाड़ा तथा भाड़े का 5 प्रतिशत विभागीय प्रभार, वसूल कर लिया जाएगा।

(II) आर.आर. को केवल बैंक के माध्यम से रजिस्ट्री लिफाफे में भेजा जाएगा।

(III) यदि क्रय अधिकारी द्वारा ऐसा चाहा जाए कि प्रदाय को यात्री रेल से भेजा जाए तो सम्पूर्ण रेल भाड़े का वहन विभाग द्वारा किया जाएगा।

(IV) संदाय पर प्रेषण व्यय निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगें।

24. बीमा:– (I) माल गंतव्य गोदाम पर पूर्णतः अच्छी स्थिति में परिदत्त किया जाएगा। प्रदायक यदि वह ऐसा चाहे, मूल्यवान माल का चोरी विनाश या आग, बाढ़ द्वारा इस स्पष्टीकरण के साथ अर्थात (युद्ध,विद्रोह, बलवा आदि)से या अन्यथा नुकसान के विरुद्ध बीमा करवा सकेगा। बीमा प्रभार का वहन प्रदायक द्वारा किया जाएगा और ऐसे प्रभारों, यदि उपगत किए गए हों, का संदाय राज्य द्वारा किया जाना अपेक्षित नही होगा।

(II) यदि क्रेता चाहे तो क्रेता के व्यय पर भी वस्तुओं का बीमा कराया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम से या उसके समनुषंगी संस्थानों से कराया जाना चाहिए।

25. संदाय–(I) विरल तथा विशिष्ट प्रकरणों के सिवाए अग्रिम संदाय नही किया जाएगा। यदि अग्रिम का संदाय फिर दिया जाता है तो वह वित्तिय शक्तियों की विहित सीमा तक, पूर्व निरीक्षण यदि कोई हो, तथा रेल/प्रतिष्ठित माल परिवहन कम्पनियों आदि द्वारा प्रेषित के

प्रमाण पत्र के अध्यधीन होगा। अतिशेष, यदि कोई हो, का संदाय, परेषण की अच्छी स्थिति में इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ जो विभाग निविदादाता को दिए गए निरीक्षण टिप्पणी पर पृष्ठांकित किया है। प्राप्त होने पर संदत्त किया जाएगा।

(II) जब तक पक्षकरों के बीच अन्यथा सहमति न हो, भण्डारों के परिदान हेतु संदाय निविदादाता द्वारा क्रय अधिकारी को सा.वि.एवं ले. नियम के अनुसरण में समुचित प्रारूप में बिल प्रस्तुत किए जाने पर किया जाएगा। समस्त प्रेषण व्ययों का वहन निविदादाता द्वारा किया जाएगा।

(III) विवादग्रस्त मद के मामले में 10 से 25 प्रतिशत तक रकम रोक ली जाएगी और विवाद के निपट जाने पर संदत्त कर दी जाएगी।

(IV) उस माल के प्रकरण में संदाय, जिसके परीक्षण की आवश्यकता है उसी समय किए जाएंगे जब परीक्षण कर लिए जाएं, प्राप्त परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देश के अनुरूप पाए जाएं।

26. (I) निविदा प्रारूप में परिदान हेतु विनिर्दिष्ट समय में संविदा का मूल तत्व समझा जाएगा और सफल निविदादाता, क्रय अधिकारी से फर्म आदेश की प्राप्ति पर कालावधि के भीतर प्रदाय की व्यवस्था करेगा।

(II) निर्धारित नुकसान— निर्धारित नुकसान सहित परिदान कालावधि की वृद्धि के मामले में उस भण्डार, जिसका प्रदाय करने में निविदादाता विफल रहा है के मूल्य की निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर वसूली की जाएगी।

(1)	(क) विहित परिदान कालावधि की एक चौथाई कालावधि तक का विलम्ब	2.5%
	(ख) विहित कालावधि के एक चौथाई से अधिक किन्तु आधी से अनधिक	5%
	(ग) विहित कालावधि के आधे से अधिक किन्तु चौथाई तक की कालावधि	7.5%
	(ख) विहित कालावधि के तीन चौथाई से अधिक की कालावधि का विलम्ब	10%

(2) प्रदाय में विलम्ब की गणना करते समय दिन के भाग की अवहेलना कर दी जाएगी यदि वह आधे दिन से कम हो।

(3) निर्धारित नुकसान की अधिकतम रकम 10 प्रतिशत होगी।

(4) यदि किसी बाधा के कारण संविदात्मक प्रदाय की पूर्ति में प्रदायक समय की वृद्धि चाहता है तो वह उस प्राधिकारी को बाधा के घटित होते ही उसके लिए लिखित में तुरन्त आवेदन करेगा। जिसने प्रदाय आदेश दिया है किन्तु प्रदाय की पूर्ति की नियत तारीख के पश्चात नहीं।

(5) यदि माल के प्रदाय में विलम्ब की निविदादाता के नियंत्रण में परे बाधाओं के कारण हो तो परिदान कालावधि को निर्धारित नुकसान सहित या उसके बिना बढ़ाया जा सकेगा।

27. वसूलियां— निर्धारित नुकसान, न्यून प्रदाय, टूट फूट अस्वीकृत वस्तुओं के संबन्ध में वसूलियां सामान्यतः बिलों से की जाएगी। न्यून प्रदाय टूट फूट, अस्वीकृत वस्तुओं की सीमा तक रकम भी रोकी जा सकेगी। और यदि प्रदायक संतोषजनक रूप से वस्तुओं को बदलने में विफल रहता है तो निर्धारित नुकसान सहित वसूलियां विभाग में उपलब्ध उसकी बकाया से तथा प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूलियां। संभव न हो राजस्थान लोक मांग वसूली के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्यवाही की जाएगी।

28. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो आयात अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु अपनी स्वयं की व्यवस्थाएं करनी चाहिए

29. यदि निविदादाता कोई ऐसी शर्त अधिरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके प्रतिकूल है तो उसकी निविदा संक्षिप्त विचारण पर अस्वीकृत हेतु दायी होगी। जब तक कि क्रय अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से वर्णित न हो ऐसी कोई भी शर्त स्वीकृत की हुई नही समझी जाएगी।

30. क्रय अधिकारी किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो, स्वीकृत करने का किसी भी निविदा को बिना कारण बतलाए अस्वीकृत करने का और किसी भी निविदा को समस्त या किसी या अधिक वस्तुओं जिसके लिए निविदा दी गयी है या भण्डार के मदों को एक फर्म/प्रदायक के अधिक को वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

31. निविदादाता करार के निष्पादन के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा—

(I) भागीदारी फर्मों के मामले में भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रतिलिपि।

(II) यदि फर्म, फर्मों के रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकरण क्रमांक और रजिस्ट्रीकरण का वर्ष

(III) एक मात्र स्वत्वधारित की दशा में निवास तथा कार्यालय का पता, टेलिफोन संख्यांक

(IV) कम्पनी की दशा में कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण।

32. यदि संविदा के निर्वचन अर्थ तथा भंग के संबंध में संविदा से कोई विवाद उत्पन्न हो तो प्रकरण का निस्तारण तत्समय लागू प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार किया जावेगा।

33. समस्त विधिक कार्यवाहियों यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में ही स्थित न्यायालयों में संस्थित की जाएगी, अन्यत्र नही।

हस्ताक्षर

फर्म/ निविदादाता मय मोहर

हस्ताक्षर

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी
जिला आयुर्वेद चिकित्सालय
श्रीगंगानगर (राज.)
DDO Code 5929